

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 312/2012

1. Smt. Kamla Devi Wife of Late Shri Hanumat Singh, Aged About 54 Years,
2. Mahendra Singh Son of Late Shri Hanumat Singh, Aged About 33 Years,
3. Bhupendra Singh Son of Late Shri Hanumat Singh, Aged About 30 Years,
4. Tej Kanwar Daughter of Late Shri Hanumat Singh, Aged About 36 Years,
5. Saroj Daughter of Late Shri Hanumat Singh, Aged About 26 Years,
All Resident of Village Palwa, Tehsil Rajgarh, District Alwar (Rajasthan).

----Claimant Appellants.

Versus

1. Dhudhar Son of Shri Jaykrishan, Aged About 36 Years, Resident of Harirah Bhadaniya, Police Station Lokdi, District Madhuwar (Bihar) Presently Resident of D-145, JP Nagar, Guwahati (Asam). (Driver of The Vehicle).
2. Ravindra Son of Shri Jaypal, Aged About 31 Years, Resident of Ahari, Police Station, Jhajhar, Tehsil And District Jhajhar (Haryana). (Driver of Trola No. HR-46/B-1051).
3. Anil Suneja Son of Shri Satpal Suneja, Aged About 45 Years, Resident of 406, Samebihar Apartment, Sector-13, Rohani, Delhi, Police Station, Prashant Vihar, Delhi (Owner of The Vehicle Tata No. DL-1/LC-9721)
4. Surajbhan Son of Shri Om Prakash, Aged About 39 Years, Resident of 167/2 Ward No. 1 Priya Colony, Jhajjhar (Haryana) (Owner of Trola No. HR-46/B-1051)
5. United India Insurance Company Limited Alwar Through Its Manager, Branch At Alar (Rajasthan). (Insurance Company Trola No. HR-46/B-1051)
6. The Oriental Insurance Company Limited Through Its Branch Manager, Alwar (Rajasthan). (Insurance Company Tata No. DL-1/LC-9721).

----Non Claimant Respondents.

For Appellant(s) : Mr. G.L. Sharma, Adv.
Mr. Shankar Lal, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Rizwan Ahmed, Adv. with
Mr. Mohsin, Adv. (for Respondent No. 6)
Mr. Tej Prakash Sharma, Adv. (for Respondent No. 5)
Mr. Vibhav Jhakar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS :: **08/05/2026**

DATE OF RESERVED :: **08/05/2026**

FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED :: **FULL**

DATE OF PRONOUNCEMENT :: **22/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राजगढ़ (अलवर) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-155/2005, श्रीमती कमला देवी व अन्य बनाम धूधर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2011 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में हनुमत सिंह की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 50,95,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 9,07,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई बढ़ोतरी नहीं कर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण

का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की कटौती कर त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पुत्र के वेतन का कुछ हिस्सा मृतक की आय से काटा जाकर त्रुटि कारित की गयी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गई है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि मृतक के वेतन प्रमाण पत्र में दर्शित आय में से मैस भत्ता व धुलाई भत्ते की कटौती की जाकर मृतक की आय निर्धारित की जावे। उनका यह भी तर्क रहा है कि मृतक के बालिग पुत्रों को मृतक पर आश्रित नहीं माना जावे। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किये जाने तथा अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.06.2005 की बताई गई है तथा वक्त घटना मृतक को हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होना बताते हुए प्रतिमाह 13,451/- रुपये वेतन प्राप्त करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 में मृतक का मूल वेतन 6,550/- रुपये, वर्दी भत्ता 35 रुपये, डी.ए. 1,704/- रुपये, डी.पी. 3,275/- रुपये, ए.पी. 15/- रुपये, एच.आर.ए. 737/- रुपये, मैस भत्ता 600/- रुपये व हार्ड ड्यूटी भत्ता 961/- रुपये सहित मृतक का सकल मासिक वेतन 13,877/- रुपये दर्शाया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र विश्वास करते हुए उपरोक्त सकल मासिक वेतन 13,877/- रुपये में से मैस भत्ता 600/- रुपये, वर्दी भत्ता 35/- रुपये व आर.पी.एम.एफ. भत्ता 84/- रुपये की कटौती करते हुए मृतक की मासिक आय 13,158/- रुपये निर्धारित करते

हुए, उक्त निर्धारित आय में से मृतक के पुत्र को वेतन स्वरूप प्राप्त होने वाली राशि 3,158/- रुपये घटाते हुए मृतक की कुल शुद्ध मासिक आय 10,000/- रुपये निर्धारित की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पुत्र को वेतन स्वरूप प्राप्त होने वाली राशि को मृतक की आय में से घटाया जाकर त्रुटि कारित की गई है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Sebastiani Lakra & Ors. Versus National Insurance Company Limited & Anr.** reported in **(2019) 17 Supreme Court Cases 465** के मामले में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"12. The law is well settled that deductions cannot be allowed from the amount of compensation either on account of insurance, or on account of pensionary benefits or gratuity or grant of employment to a kin of the deceased. The main reason is that all these amounts are earned by the deceased on account of contractual relations entered into by him with others. It cannot be said that these amounts accrued to the dependents or the legal heirs of the deceased on account of his death in a motor vehicle accident. The claimants/dependents are entitled to "just compensation" under the Motor Vehicles Act as a result of the death of the deceased in a motor vehicle accident. Therefore, the natural corollary is that the advantage which accrues to the estate of the deceased or to his dependents as a result of some contract or act which the deceased performed in his life time cannot be said to be the outcome or result of the death of the deceased even though these amounts may go into the hands of the dependents only after his death."

7. इस प्रकार **Sebastiani Lakra (supra)** के मामले में यह स्पष्ट मत अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक की मृत्यु के फलस्वरूप उसके परिवारजन को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी राशि तथा मृतक के किसी परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति फलस्वरूप प्राप्त वेतन राशि को मुआवजे की निर्धारित राशि में से काटा नहीं जाएगा। अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को वेतन उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर मिलता है।

अतः वह राशि भी काटे जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति के फलस्वरूप मिलने वाले वेतन को मृतक की निर्धारित आय में से घटाया जाकर त्रुटि कारित की गयी है। साथ ही विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक को वेतन के साथ मिलने वाले मैस भत्ता राशि को मृतक की आय में नहीं जोड़ा जाकर त्रुटि कारित की गई है। जबकि मृतक की आय में मृतक को मिलने वाली मैस भत्ते की राशि को भी मृतक की आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Co. Ltd. Vs. Indira Srivastava** reported in **(2008) 2 SCC 763** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"**19.** The amounts, therefore, which were required to be paid to the deceased by his employer by way of perks, should be included for computation of his monthly income as that would have been added to his monthly income by way of contribution to the family as contradistinguished to the ones which were for his benefit. We may, however, hasten to add that from the said amount of income, the statutory amount of tax payable thereupon must be deducted."

8. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Meenakshi Vs. The Oriental Insurance Co. Ltd.** reported in **2024 ACJ 1647** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"**9.** Recently in a judgment dated 11th July, 2024 in National Insurance Company Ltd. v. Nalini and Ors. [Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 4230/2019], this Court held that, allowances under the heads of transport allowance, house rent allowance, provident fund loan, provident fund and special allowance ought to be added while considering the basic salary of the victim/deceased to arrive at the dependency factor."

10. Therefore, components of house rent allowance, flexible benefit plan and company contribution to provident fund

have to be included in the salary of the deceased while applying the component of rise in income by future prospects to determine the dependency factor. The Accident Claims Tribunal was justified in factoring these components into the salary of the deceased, before applying 50% rise by future prospects due to future prospects, while calculating the total compensation payable to the Appellant.

12. We, therefore, hold that the High Court has erred while omitting to add the components of house rent allowance, flexible benefit plan and Company contribution to provident fund to the basic salary of the deceased while applying the principle of rise in income by future prospects."

9. मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 में मृतक का मूल वेतन 6,550/- रुपये, वर्दी भत्ता राशि 35/- रुपये, मंहगाई भत्ता 1,704/- रुपये, डी.पी. 3,275/- रुपये, ए.पी. 15/- रुपये, एच.आर. 737/- रुपये, मैस भत्ता 600/- रुपये तथा हार्ड ड्यूटी भत्ता 961/- रुपये सहित मृतक की कुल मासिक आय 13,877/- रुपये दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में हम, **Indira Srivastava (supra)** व **Meenakshi (supra)** के मामलों में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-20 में मृतक की सम्पूर्ण भत्तों सहित दर्शाई गई 13,877/- रुपये की मासिक आय में से वर्दी भत्ते की 35/- रुपये की राशि को घटाया जाकर मृतक की कुल शुद्ध मासिक आय 13,842/- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 54 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आयु 51 से 55 वर्ष के मध्य निर्धारित की गयी है। चूंकि मृतक 51 से 55 वर्ष के मध्य आयु का वेतन भोगी व्यक्ति था। ऐसी स्थिति में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार

मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 13,842/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 15 प्रतिशत अर्थात् 2,076/- रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक आय 15,918/- रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

11. वक्त घटना मृतक पर कुल 05 आश्रित बताये गये हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या-1 मृतक की पत्नी, अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 5 मृतक के पुत्र-पुत्री हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वयस्क पुत्रों-पुत्रियों अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 5 को वक्त घटना मृतक पर आश्रित नहीं मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गयी है। जबकि मृतक के वयस्क पुत्रों-पुत्रियों को भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित माना जाना चाहिए था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Company Ltd. Vs. Birender & Ors.** reported in **(2020) 11 SCC 356** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

"14. It is thus settled by now that the legal representatives of the deceased have a right to apply for compensation. Having said that, it must necessarily follow that even the major married and earning sons of the deceased being legal representatives have a right to apply for compensation and it would be the bounden duty of the Tribunal to consider the application irrespective of the fact whether the legal representative concerned was fully dependent on the deceased and not to limit the claim towards conventional heads only. The evidence on record in the present case would suggest that the claimants were working as agricultural labourers on contract basis and were earning meagre income between Rs 1,00,000 and Rs 1,50,000 per annum. In that sense, they were largely dependent on the earning of their mother and in fact, were staying with her, who met with an accident at the young age of 48 years."

12. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत **बिरेन्दर (उपरोक्त)** के मामले में मृतक के विवाहित बालिग पुत्रों को विवाहित होने तथा आय अर्जित करने के बावजूद भी उन्हें पूर्णतया मृतक पर आश्रित माना गया है। इस मामले में भी अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 5 मृतक के वयस्क पुत्र-पुत्री हैं, जिन्हें विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक पर आश्रित नहीं मानकर त्रुटि कारित की है। इन परिस्थितियों में हम, **बिरेन्दर (उपरोक्त)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक के वयस्क पुत्रों-पुत्रियों को भी मृतक पर आश्रित होना मानते हुए वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती किया जाना उचित समझते हैं। तदनुसार 15,918/- रुपये का $1/4$ भाग 3,979/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 11,939/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 51 से 55 वर्ष के मध्य निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 11 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

13. तदनुसार मृतक की निर्धारित आश्रित आय 11,939/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $11,939 \times 12 \times 11 = 15,75,948/-$ रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 5,000/- रुपये, इस प्रकार कुल 25,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में

प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

15. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2005 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये, मृतक के पुत्र-पुत्री अपीलार्थी संख्या- 2 लगायत 5 प्रत्येक को “पैरेंटल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये (कुल 2,00,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 2,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम है। अतः उपरोक्त मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गई है। अतः उपरोक्त मद में भी हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

18. वक्त घटना प्रश्नगत वाहन चालक धूधर प्रत्यर्थी संख्या-1 के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा प्रश्नगत वाहन चालक के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस वक्त घटना मौजूद था, वह फर्जी अथवा बनावटी था, इस कारण विद्वान अधिकरण द्वारा वाहन टाटा 407 नम्बर डी.एल 1-एलसी-9721 की मामले की दुर्घटना में 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा तथा वाहन टोला नम्बर-एच.आर-46-बी-1051 के चालक की भी मामले की दुर्घटना में 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा निर्धारित करते हुए, निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत राशि विपक्षी संख्या-1 व 3 से

संयुक्त: अथवा पृथकतः प्राप्त करने का आदेश दिया गया है तथा साथ ही “पे-एण्ड-रिकवर” के सिद्धान्त के आधार पर बीमा कम्पनी को यह आदेश दिया गया है कि विपक्षी संख्या-6 बीमा कम्पनी प्रथमतः सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज दावाकर्तागण को अदा करेगी तथा अदायगी के पश्चात् अदा की गयी राशि विपक्षी संख्या-6 बीमा कम्पनी, विपक्षी संख्या-1 व 3 से संयुक्त: अथवा पृथकतः प्राप्त करने की अधिकारी होगी तथा शेष रही 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दावाकर्तागण, विपक्षी संख्या-2, 4 व 5 से संयुक्त: अथवा पृथकतः प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

19. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	15,75,948 / -
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,00,000 / -
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 / -
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 / -
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		18,05,948 / -
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		9,07,000 / -
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		8,98,948 / -

20. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **9,07,000 / - रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **18,05,948 / - रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उपरोक्तानुसार विद्वान अधिकरण का निर्णय संशोधित किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

21. अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

22. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
23. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
24. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /5